

## FORM NO -III

फर्द-अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक  
शाखा-त्रिसंगिया, नागौर जरिये  
प्राधिकृत अधिकारी

1. मैसर्स खेडाधनी मिनरल्स सांजू, 4/127 शिव  
मंदिर के पास, हनुमान बाग, कॉलोनी, नागौर  
(राज0)-341001 वगैरह

किस्म मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या- 345 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
01.11.22	<p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 23/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	
23/11/22	<p>वकील प्रार्थी श्री रामकिशोर सोनी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र को Note Press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को Note Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p>	